

12/6/17

वकील वादी एवं वकील उरुतिवादी सं. 1 उपस्थित। पैरोकार
उरुतिवादी सं. 6 उपस्थित। वकील वादी उरुतिवादी सं. 2, 4, 5
की तलकी हेतु अदायगी तलबाना लगान समय लेते
हैं। बार बार हिदायत के बावजूद तलबाना लगान
किया नहीं किया है और निदेश पालन के असफल रहा
है। अतः वाद निदेश 7 किया है। (च) के प्रावधानानुसार
सत्यय निरस्त किया जा रहा है। मिसल फैसल शुगर
होकर नगद ले कर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

